

8.6-18 पञ्जाबली न्याय आपणे मुर-२०१८ में अदालत
केन्द्र, नरभवा पेश हुई। पक्ककाराने नकील
उफरुई मापक ०२२१-५७१०१ मूलवाद में
स्वीकार हो चुका है अतः मूलवाद के परिपेक्ष
में र.इ. मापक पत्रों में भी स्वीकार किया गया।
पक्ककाराने र.इ. मापक सुनाया गया तो
किरासत के नामानुकरण को दोहरा दे
२२-११-०७ को जारी आदेश मूलवाद के निरस्त
कर कर्म करने हेतु सहमत है अतः
लोक अदालत की भावना से उभय पक्षों
किरासत के नामानुकरणों को दोहरा दे २२-११-०७
को जारी आदेश से मूलवाद के निरस्त
कर्म किया गया। इस बाबत सम्बन्धित
को सबनार्थ लहरी जारी हो। पञ्जाबली फ़ैसल
शुमार रोकुर र्ज नम्बर से कम हो। आदेश
मजमें आय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सौमर लेक